

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-237/2024 दिनांक 24.08.2024)

दिनांक-24.08.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अवैध शराब की बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध चलाये गये 03 दिवसीय अभियान के क्रम में भिन्न-भिन्न थानों पर पंजीकृत कुल 53 मुकदमे में 57 नफर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए कुल 614.64 लीटर अवैध शराब की हुई बरामदगी तथा अभियान के दौरान कुल 50 कुन्तल नष्ट किया गया-

अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गैंग का खुलासा, डीसीएम ट्रक वाहन मय 10 राशि गोवंशीय पशुओं के साथ 02 अंतर्राज्यीय पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन सिंह के नेतृत्व में गोवंशी पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे है अभियान के क्रम मे आज दिनांक 24.08.2024 को बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास से थाना तरया सुजान पुलिस टीम डीसीएम ट्रक वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही 10 राशि गोवंशीय पशुओं की बरामदगी करते हुए 02 अंतर्राज्यीय पशु तस्करों 1-ओम प्रकाश पुत्र भीम सिंह निवासी भाना थाना पूंडरी जनपद कैथल हरियाणा 2. प्रदीप कुमार पुत्र रामशरण सिंह निवासी पीपल शाह थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर उ0प्र0 को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 289/2024 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका-

उक्त अभियुक्तगणों द्वारा पृच्छताछ करने पर बताया गया कि उन लोगों के द्वारा अधिक धन अर्जित करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य के आस पास के क्षेत्रों से गोवंशीय पशुओं को खरीदकर वध हेतु बिहार राज्य ले जाया जाता है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 289/2024 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.ओम प्रकाश पुत्र भीम सिंह निवासी भाना थाना पूंडरी जनपद कैथल हरियाणा
- 2.प्रदीप कुमार पुत्र रामशरण सिंह निवासी पीपल शाह थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर उ0प्र0

बरामदगी का विवरण:-*

- 1- 10 राशि गोवंशीय पशु
- 2- एक अदद डीसीएम ट्रक वाहन सं0 (HR 45 D 3182)
- 3-02 अदद एंड्रायड मोबाईल फोन

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1- प्र0नि0 आशुतोष सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 2- उ0नि0 शनि जावला थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 3- उ0नि0 रणविजय सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 4- का0 बृजेश यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 5- का0 गौरव शाह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 6- का0 रवि कुमार राजभर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 7- का0 विरेन्द्र गुप्ता थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 8- का0 आलोक कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

नोट- इस सराहनीय कार्य हेतु पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा पूरी पुलिस टीम को 15,000/- रुपये पुरस्कार दिया गया है।

अंतर्राज्यीय पशु तस्करी गैंग का खुलासा, 06 राशि गोवंशीय पशुओं मय पिकअप वाहन, टाटा नेक्सान कार व अवैध शस्त्र के साथ एक महिला सहित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सन्तोष कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में गोतस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.08.2024 को सुधियानी पेट्रोल पम्प से बोदरवार की तरफ 200 मी0 आगे पुल के पास से थाना कप्तानगंज व साईबर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा एक अदद पीकअप वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही 06 राशि गोवंशीय पशुओं तथा अवैध शस्त्र व अपराध में प्रयुक्त टाटा नेक्सान कार वाहन संख्या (UP 57 BQ 5274), गोवंशो को काटने व लादने के कुछ उपकरण, अपराध में प्रयुक्त 03 अदद एण्ड्रायड मोबाईल फोन तथा अपराध से अर्जित कुल पांच हजार रुपये/- की बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 430/2024 धारा 3/5ए/8/5बी गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध करने का तरीका-

पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त गैंग एक शातिर पशु तस्कर गैंग है जो बिहार के पश्चिमी चम्पारण में तमकुहा क्षेत्र से रात्रि में हारून पुत्र नसीम साकिन तमकुहा थाना धनहा पश्चिमी चम्पारण बिहार की

महिन्द्रा पिकअप लोडर BR22GC3547 से गोरखपुर हेतु गौवंशो को लदवाने के लिए चलते है तथा पुलिस की चेकिंग से बचने व उक्त अपराध को सफल बनाने के लिए एक टाटा नेक्सान UP57BQ5274 को लाइनर के रूप में उक्त पिकअप से कुछ किलोमीटर आगे रास्ता क्लियर हेतु सूचना देने हेतु साथ साथ चलते है तथा उपरोक्त पिकअप महिन्द्रा में रोजिद अंसारी व 02 अन्य व्यक्ति निवासीगण धनहा पश्चिमी चम्पारण बिहार बैठते है तथा अपने पास अवैध तमंचे व कारतूस भी रखते है ताकि घेराव होने पर इनका उपयोग/फायरिंग कर बचा जा सके तथा टाटा नेक्सान लग्जरी उपरोक्त गाडी में नजमा पत्नी नूरमोहम्मद , प्रमोद राम पुत्र रघुनाथ के साथ बैठकर उक्त पिकअप को लाईनर के रूप में रास्ता क्लियर कराती है तथा महिला होने के नाते उसपर कोई शक भी नहीं करता है आपस में परिवह के रूप में गौवंशो को बिहार ले जाने में उक्त बरामदा मोबाईलो से आपस में सम्पर्क में रहते है तथा उपरोक्त गैग द्वारा बिहार पश्चिमी चम्पारण से गौवंशो को बिहार कटवाने हेतु गोरखपुर जिले से पिपराईज होते हुए कप्तानगंज, रामकोला , पडरौना, बांसी से तमकुहा बिहार ले जाकर गौकशी कराते है और इस अपराध से अवैध धन अर्जित करते है पूर्व में उक्त अपराधो से अर्जित किये गये धन से ही अभियुक्ता नजमा द्वारा कुशीनगर पडरौना स्थित छावनी में स्थित सिमेण्ट फैक्ट्री के पास जमीन लेकर अवैध धन से मकान बना लिया तथा इस गैग को चलाने में सक्रिय भागिदारी निभाती है तथा उपरोक्त आपराधिक कृत्यो से अर्जित अवैध धन से इन लोगो द्वारा धनहा निवासी हारून पुत्र नसीम के नाम से महिन्द्रा पिकअप व लग्जरी टाटा नेक्सान उपरोक्त गाडी को खरीदा गया है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 430/2024 धारा 3/5ए/8/5बी गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 3/4/25 आर्म्स अधि0 थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1-नजमा पत्नी नूरमोहम्मद सा0 दौनहा थाना धनहा जनपद प0 चम्पारण बिहार
- 2-रोजिद अंसारी पुत्र हारून अंसारी सा0 तमकुहा थाना धनहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार
- 3-प्रमोद राम पुत्र रघुनाथ राम सा0 धनमतिया पिपरा थाना जोगापट्टी जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार

अभियुक्त रोजिद अंसारी का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 110/2024 धारा 8/20/21 एनडीपीएस अधि0 थाना धनहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार

बरामदगी-

- 1-06 राशि गोवंशी पशु
- 2-अपराध में प्रयुक्त एक अदद पीकअप वाहन संख्या BR 22 GC 3547
- 3-अपराध में प्रयुक्त एक अदद TATA NEXON वाहन संख्या UP 57 BQ 5274
- 4-दो अदद तमंचा नाजायज 315 बोर व 12 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
- 5-गौवंशो को काटने हेतु एक अदद बांका लोहे का धारदार
- 6-एक ठोस लकडी का भारी ठिया व एक अदद रस्सी
- 7-03 अदद एण्ड्राएड मोबाईल फोन (भिन्न भिन्न कम्पनियों की)

9-अपराध से अर्जित कुल 5,000/- रूपये नगद

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्र0नि0 मनोज कुमार पन्त थाना साइबर जनपद कुशीनगर म
- 2-थानाध्यक्ष राजकुमार बरवार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 3-व0उ0नि0 सुर्यभान यादव थाना कप्तानगंज कुशीनगर
- 4-उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 5-उ0नि0 सुरज सिंह यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 6-उ0नि0 अनिल गहलोत थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 7-उ0नि0 अरुण कुमार यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 8-उ0नि0 श्रीप्रकाश राय थाना साइबर जनपद कुशीनगर
- 9-का0 प्रशान्त कुमार मिश्रा थाना साइबर जनपद कुशीनगर
- 10-हे0का0 राकेशकुमार 02 थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 11-का0 इतेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 12-का0 रितेश यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 13-का0 हरेन्द्र यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 14-का0 अमरबहादुर सरोज थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 15-का0 प्रमोद कुमार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 16-का0 शिवप्रसाद कुशवाहा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 17-का0 अनिल यादव 2 थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 18-का0 भगवतीदत्त यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 19-का0 आलोक कुमार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 20-का0 बृजेश विश्वकर्मा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 21-म0का0 ममता भारती थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 22-म0का0 प्रिती शाह थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

नोट- इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा पूरी पुलिस टीम को 20,000/- रु० पुरस्कार दिया गया है।

थाना तमकुहीराज पुलिस टीम द्वारा चोरी गए सामान के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 24.08.2024 को NH-28 राय होटल के पास माधोपुर बुजुर्ग के पास से थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 273/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनस से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनके कब्जे से दो अदद बैटरी व 05 अदद पंखे का आर्मेचर बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 273/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1-बलेन्दर भारती पुत्र नारद प्रसाद भारती निवासी गाजीपुर बैरियर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 2-बाल अपचारी

बरामदगी-

- 1-दो अदद बैटरी
- 2-04 अदद पंखा का आर्मेचर व 01 अदद टुल्लू पम्प का आर्मेचर

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1-प्र0नि0 अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 दीनानाथ यादव थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 3-हे0का0 संजय कुमार यादव थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 4-का0 सुरेश चौहान थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

थाना सेवरही पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.08.2024 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 171/2024 धारा 363,366,376,504,506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दुर्गेश कुशवाहा पुत्र ईश्वर कुशवाहा सा0 वार्ड नं0-15 वीर सावरकरनगर(सबया) थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 171/2024 धारा 363,366,376,504,506 भादवि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

दुर्गेश कुशवाहा पुत्र ईश्वर कुशवाहा साकिन वार्ड नं0-15 वीर सावरकरनगर(सबया) थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. SHO श्री दिग्विजय नरायण राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 शेषनाथ यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

3. का0 रामचन्द्र राजभर थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

4. का0 अरूण गौड़ थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 34नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00वाहन

2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-51,व्यक्ति-143

3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(36)

4-जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-70)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर